न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 188 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

मनोहर कंवर पुत्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी गोडियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—प्रार्थीया

ब नाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

— अप्रार्थी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड वकील वादीया की ओर से।

नि र्ण य दिनांक — 31.08.2021

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया वाके ग्राम गोडियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ में अवस्थित कृषि भूमि ख.न. 569 रकबा 0.84 है0 खाता संख्या नया 28 में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि की वादीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग कर रही है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। यह है कि प्रार्थीया की माता का नाम पप्पु कंवर उर्फ पांचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह की मृत्यु करीब 4 वर्ष अर्सा पूर्व हो चुकी है, का ग्राम गोडियावास की भूमियों मे उसका नाम पांचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थीया की माता का सही व वास्तविक नाम पप्पु कंवर पत्नि कल्याण सिंह है, तथा इसी आशय का प्रमाण—पत्र भी ग्राम पंचायत सुलियावास तथा मुझ प्रार्थीया का शपथ—पत्र भी इस आशय का दिया हुआ है। प्रार्थीया की माता का नाम दोनों ही नाम यथा पप्पु कंवर व पांचू कंवर के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। प्रार्थीया की माता का नाम अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पंचायत का प्रमाण पत्र, मुझ प्रार्थीया का शपथ पत्र अन्य अन्य समस्त रिकार्ड में पप्पु कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में

खण्ड अधिकारी दांतारामगढ

प्रार्थीया की माता का नाम मद संख्या एक के अनुसार गलत रूप से दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है, इसलिए प्रार्थीया को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। यह है कि प्रार्थीया की माता के नाम में भिन्नता की वजह से प्रार्थीया की माताजी की मृत्यु के बाद भी वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरण नही भरा जा रहा है,. इसलिए उक्त जमाबन्दी मे प्रार्थीया की माता का नाम पांचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह के स्थान पप्पु कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज कर राजस्व रिकर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है. पंचायत के इस आशय के प्रनाण पत्र व मुझ प्रार्थीया का शपथ पत्र इन सबसे स्पष्ट है कि आवेदिका की माता का सही व वास्तविक नाम पांचू कंवर नही होकर पप्पु कंवर ही है दुसरी ओर इसी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया की माता का नाम सहवन से पांचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज हो रखा है जो गलत है एंव दुरूस्त किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थीया कई बार अप्रार्थी एव अन्य सम्बधित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुकी है परन्तु आज तक काई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है। सम्बधित समस्त दस्तावेज, प्रार्थना पत्र एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थीया की माता का नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीया विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम गोडियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज वादीया की माता का नाम पाचू कवर पत्नि कल्याण सिंह के स्थान पर वादीया की माता का सही व वारितविक नाम पप्पु कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे सशोधन के आदेश पारित किया जावे।

2 वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीया स्वयं व अन्य सहखातेदार आनन्द कंवर ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया कि माता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पाचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह के स्थान पर वादीया की माता का सही व वास्तिविक नाम पप्पु कंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीया पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादीया व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वाद के समर्थन शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 569** रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम गोडियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादीया के माता का नाम पांचू कंवर पत्नि कल्याण सिंह के स्थान पर वादीया की माता का सही व वास्तिविक नाम पांचू कंवर उर्फ पप्पुकंवर पत्नि कल्याण सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/21

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

मनोहर कंवर   बनाम   राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 188 / दावा सन् 2020   निर्णय   दिनांक. 31.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए एस बहाजरी श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम गोडियावास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादीया कि माता का नाम पांचू कवर पत्नि कल्याण सिंह के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर पांचू कंवर उर्फ पप्पु कंवर पत्नि कल्याणसिंह संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

खर्चे	रुपया	पैसा	मुद्दालेह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible]			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
[illegible] गवाहान	-		फीस कमिश्नर		
खर्चा इश्तहार			तामील इश्तहार हुक्मनामा		
[illegible] हुक्मनामा	-		मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: [illegible] डिक्री के जरिये [illegible] या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़